

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

Website- msuniversity.ac.in

Gmail ID - registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 11 / 08 / प्रशा० / MSU / 2021-22

दिनांक : 17/06/2022

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव,

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय : दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के 2022-23 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 47/2022/902/26-3-2022-4(358)/07 टी०सी० दिनांक : 02 मई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करें। जिसमें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के द्वारा <http://scholarship.up.gov.in> पर अपलोड की गयी निम्न सूचनाएँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जो निम्न है :-

01. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का नॉन रिफण्डेबल राशि एवं ट्यूशन फीस को प्रमाणित करते हुए प्रेषित करने का कष्ट करें।
02. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों की संख्या का विवरण सचिव प्रबन्ध समिति की ओर से 100 रुपये के नान ज्यूडीशियल शपथ-पत्र के माध्यम से देने का कष्ट करें। यदि पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिए प्रबन्ध-तंत्र स्वयं जिम्मेदार होगा।
03. महाविद्यालयों की प्रोफाइल की फोटो कॉपी जो छात्रवृत्ति के पोर्टल पर भरा गया है, जिसमें प्राचार्य/प्राचार्या एवं नोडल अधिकारी का नाम अंकित है एवं जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित है। (राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों को छोड़कर)
04. छात्र/छात्राओं के बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रक्रिया लागू करने हेतु समस्त संस्थानों में बायोमैट्रिक मशीन स्थापित की जानी आवश्यक है।
05. छात्रों के बैंक खाता संख्या आधार से लिंक होना चाहिए।
06. छात्रवृत्ति आवेदन करने वाले छात्रों का परीक्षाफल उत्तीर्ण होना चाहिए।
07. NAAC एवं AISHE का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
08. scholarship Portal पर अपलोड किये गये डिजिटल सिग्नेचर की छायाप्रति।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचनाएँ सत्यापित कर दिनांक : 25.06.2022 को सायं 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही आपको अवगत कराना है कि सत्र 2021-22 एवं 2022-2023 में प्रवेशित सभी छात्रों का डाटा माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर से लॉक किया जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय



(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)

कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
02. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/शामली।
03. सहायक कुलसचिव।
04. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
05. सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त प्रेस विज्ञप्ति को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के सभी संस्करणों में विशेष स्थान देते हुये छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

कुलसचिव

प्रेषक,

संख्या-47/2022/902/26-3-2022-4(358)/07 टी.सी.।।।

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 02 मई 2022

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ० प्र० के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-233/स०क०/शिक्षा-अ/7/76/2022-23, दिनांक-22.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ० प्र० के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अन्दर तथा बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उ० प्र० के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्र०सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही (प्रथम चरण)	समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएँ)। मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते	05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक।

	हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम एवं आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थाएँ योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश] लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट, निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, 3-प्राग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	05 मई 2022 से 31 मई 2022 तक।
1बी	योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थाएँ) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम] पाठ्यक्रम का प्रकार] पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क] पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये) पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।	05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक। (नोट:-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित संस्थानों हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना।	07 जून 2022 से 30 जून 2022 तक।
2ए	योजनाधिकारी] बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर ऑनलाईन लाक किया जाना।	07 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक।
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	01 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक।
3ए	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की	01 जुलाई 2022 से 21 जुलाई 2022 तक।

	संख्या तथा सत्यापित फीस का ऑनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/ अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लोक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लोक न की जाय) ऑनलाइन लोक किया जाना।	
कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	10 मई] 2022 से 07 जुलाई] 2022 तक।
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल) इण्टरमीडिएट रोल नम्बर तथा आयु जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 04 दिन के अन्दर] विलम्बतम 11 जुलाई] 2022 तक।
7	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15 मई 2022 से 13 जुलाई 2022 तक।
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों] शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	05 मई] 2022 से 05 दिसम्बर 2022 तक।
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	03 अगस्त] 2022 तक।
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त	14 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2022

	किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	तक।
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरांत डिजिटल हस्ताक्षर से शुद्ध डाटा लोक किया जाना।	26 जुलाई 2022 से 07 अगस्त 2022 तक।
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से लोक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉश सृजित कराना।	11 अगस्त 2022 तक।
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लोक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को बैंक/कोषागार के ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों व बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	14 अगस्त 2022 तक।
कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं की संस्थाओं हेतु		
क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही (द्वितीय चरण)	समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2022-23)
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें)। मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम/ पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या/ सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/ अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक।
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश/ लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश)	11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक।

	3-प्राण नारायण रोड, कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	
1वीं	योजनाधिकारी (यात्रा प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थाएँ) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।	11 जुलाई 2022 से 25 अगस्त 2022 तक। (नोट:-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ऑनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित संस्थानों हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना।	23 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर 2022 तक।
2ए	योजनाधिकारी। यात्रा प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर ऑनलाईन लॉक किया जाना।	26 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर 2022 तक।
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन सत्यापित करना।	27 सितम्बर 2022 से 03 नवम्बर 2022 तक।
3ए	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाईन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लॉक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) आनलाईन लॉक किया जाना।	27 सितम्बर 2022 से 03 नवम्बर 2022 तक।

कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण के अवधीय (Renewal) छात्र/छात्राओं हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना।	08 जुलाई 2022 से 07 नवंबर 2022 तक।
5	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हार्डस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिये जायेंगे।
6	ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र/छात्राओं द्वारा संबंधित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	10 नवंबर 2022 तक।
7	छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	10 जुलाई 2022 से 15 नवंबर 2022 तक।
8	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	10 दिसंबर 2022 तक।
9	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न विन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	16 नवंबर 2022 से 01 दिसंबर 2022 तक।
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्यन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लोक किया जाना।	02 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक।
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लोक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	23 दिसम्बर 2022 तक।
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लोक डाटा के आधार पर बैंक/कोषागार के ई-पेमेण्ट(e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	28 दिसम्बर 2022 तक।
दोनों चरणों के संदेहास्पद डाटा को छात्रों द्वारा सही करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरांत डाटा का परीक्षण एवं डाटा सत्यापन तथा भुगतान हेतु समयावधि		

13	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/संस्थाओं के लागिण पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	02 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर 2022 तक।
14	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त यांचित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा संस्था को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 20 दिसम्बर 2022 तक।
15	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना तथा छात्र द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों को जिला कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध कराना।	03 दिसम्बर 2022 से 27 दिसम्बर 2022 तक।
16	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	28 दिसम्बर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक।
17	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	14 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक।
18	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	21 फरवरी 2023 तक।
19	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/ बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	24 फरवरी 2023 तक।

नोट:-

- 1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/ उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 2- नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Numer) अंकित करते हुये ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।
- 3- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्सन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (02 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर 2022 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित

- कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड करेंगे जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
- 3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमोत्तर योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by रजनीश चन्द्र

Date: 02-05-2022 15:44:18
(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

Reason: Approved

पू0सं0- 47 / 2022 / 902 (1) / 26-3-2022 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।